न्यायालयः– सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी	–	तनवीर चौधरी आर.जे.एस. (डी.जे.केडर)
वि.फौ.प्र.सं.	–	366/2026
सी.आई.एस. नम्बर	–	393/2026
C.N.R. Number	–	RJHG010010632026

राजेश कुमार उर्फ राजू बिजारणीया पुत्र श्री देवीलाल उर्फ ओमप्रकाश उम्र 34 साल निवासी वार्ड नम्बर 15 बिजारणीया वाली ढ़ाणी किशनपुरा दिखनादा पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाऊन जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन की प्राथमिकी सं0 548/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 5/25 आर्म्स एक्ट व 111(2)(2), 111(3), 111(4) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितिः–
श्री प्रेम गोदारा, विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
श्री मनोज कुमार शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक– राज्य की ओर से।

–आदेश– **दिनांकः– 04.06.2026**

1. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन की प्राथमिकी सं0 548/2025 में प्रार्थी/अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ राजू बिजारणीया की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 05.05.2026 को खारिज किये जाने पर उसकी ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर नकल प्रार्थना पत्र विद्वान लोक अभियोजक को देकर संबंधित पत्रावली तलब कर उभय पक्ष की बहस जमानत आवेदन सुनी गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 02.08.2025 को श्री खेमराज मीणा स.उ.नि. ने पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में एक फर्द इस आशय की पेश की कि 01.08.2025 के वक्त 23.06 पी.एम. पर वह मय मुलाजमान दौराने गश्त जरिये मुखबिर इत्तिला सूरतगढ बाईपास रोड़ जेल के पिछे पार्क के पास हनुमानगढ़ जंक्शन पर पहुँचा, तो सड़क–सड़क हाउसिंग बोर्ड की तरफ सामने से एक जवान उम्र का लड़का आता दिखाई दिया, जिसे भागने का प्रयास करने पर काबू कर नाम–पता पूछा, तो अपना नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामकुमार निवासी चौंहिलावाली पुलिस थाना हनुमानगढ टाऊन होना बताया। उक्त शख्स की तलाशी ली, तो उसके पहने हुए लोवर पेन्ट की आंट में सामने की तरफ एक देशी कट्टा 31 बोर मिला, जिससे उक्त हथियार के संबंध में लाईसेंस/परमिट पूछा, तो नहीं होना बताया, जिस पर मौका की कार्यवाही कर फर्द बरामदगी तैयार की गई....आदि। उक्त फर्द के आधार पर पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 548/2025 दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया है। दिनांक 02.08.2025 को सह–अभियुक्त सुरेन्द्र से पिस्तौल

बरामद हुआ, जिसकी दो–तीन दिन बाद जमानत हो जाती है। सह–अभियुक्त सुरेन्द्र अपनी इत्तिला मे बताता है कि पिस्तौल कहां से खरीद किया, परन्तु घटना की तस्दीक नहीं करवाता है। मात्र इत्तिला देना बताता है। तत्पश्चात पुलिस प्रोडेक्शन वारण्ट पर दो मुलजिमान को गिरफ्तार करती है और फिर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार करती है, परन्तु इसके संबंध में इत्तिला नहीं मिलती है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड होने के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध संगठित अपराध की धारायें जोड़ दी गई हैं। पत्रावली पर एक भी आधार नहीं है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रार्थी/अभियुक्त संगठित अपराध का आरोपी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई लूट, डकैती या फिरौती जैसा कोई आपराध नहीं है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध संगठित अपराध की धारायें लगा दी गईं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 13.04.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोप–पत्र पेश हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का दौराने बहस तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 5/25 आर्म्स एक्ट, धारा 111(2)(2), 111(3), 111(4) भारतीय न्याय संहिता के गंभीर आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में भी भिन्न–भिन्न प्रकृति के 7 प्रकरण दर्ज हैं। प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

5. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी रिपोर्ट निम्न है :–

S.No	FIR No. & PS	Case No.	Under Section	Date of Institution	Status	Date of Arrest	Date of Release
1	419/2019	–	341, 307, 34 भा.दं.सं. व 27 आर्म्स एक्ट	–	सी.एस. नम्बर 81/20	–	–
2	615/2020	–	452, 323, 143 भा.दं.सं.	–	राजीनामा बरी	–	–
3	241/2016 हनुमानगढ़ जंक्शन	–	–	–	–	–	–
4	571/2013	–	323, 341, 34 भा.दं.सं.	–	सी.एस. नम्बर 431/13	–	–
5	340/2014	–	342, 504, 143 भा.दं.सं.	–	सजा	–	–
6	484/2015	–	323, 452, 143 भा.दं.सं.	–	–	–	–
7	477/2015 पीलीबंगा	–	–	–	–	–	–

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर अवैध आग्नेयास्त्र विक्रय करने का धारा 5/25 आर्म्स एक्ट, धारा 111(2)(2), 111(3), 111(4) भारतीय न्याय संहिता के गंभीर आरोप है। अवैध हथियारों का क्रय–विक्रय करना

सामान्य परिस्थितियां नहीं है। अवैध हथियारों का क्रय–विक्रय अपने आपमें अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध में अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने बताये गये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी प्रकट होता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की प्रकृति अत्यन्त गंभीर है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ राजू बिजारणीया की ओर से प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

Sd/–

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

8. आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sd/–

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

STENO GRADE
Ist
MANISH KUMAR
Digitally signed by MANISH KUMAR
Date: 2026.06.05 11:43:11 +0530